


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुकम में में जज
20 ¹¹ / ₂₄	वकील जयश्री उषण/पत्रावली वाले जवाब हेतु दिनांक 18-12-2024 को पेश है। उपखण्ड अधिकारी वामनवास	
21 ² / ₂₄	वकील जयश्री उषण/लेट होल्डर का पत्रावली हुआ। वरस वकील जयश्री की सुनी गई। पत्रावली आउटेड दिनांक 22-1-25 को पेश है। उपखण्ड अधिकारी वामनवास	
22 ¹ / ₂₅	उमर अ उपस्थित। P.O. साहू अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आ. शानुसार दिनांक 19-2-25 को पेश हो गई।	
19 ² / ₂₅	उमर अ उपस्थित। P.O. साहू अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आ. शानुसार दिनांक 5-3-25 को पेश हो गई।	
05 ⁰³ / ₂₅	उमर अ उपस्थित। P.O. साहू अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आ. शानुसार दिनांक 05-03-25 को पेश है।	
2 ⁴ / ₂₅	उमर अ उपस्थित। P.O. साहू अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आ. शानुसार दिनांक 7-5-25 को पेश हो गई।	
7 ⁵ / ₂₅	उमर अ उपस्थित। P.O. साहू अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आ. शानुसार दिनांक 21-5-25 को पेश है। उपखण्ड अधिकारी वामनवास	
21 ⁵ / ₂₅	उमर अ उपस्थित। P.O. साहू अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आ. शानुसार दिनांक 4-6-25 को पेश हो गई।	
4 ⁶ / ₂₅	उमर अ उपस्थित। P.O. साहू अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आ. शानुसार दिनांक 2-7-25 को पेश हो गई।	
2 ⁷ / ₂₅	उमर अ उपस्थित। P.O. साहू अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आ. शानुसार दिनांक 2-7-25 को पेश हो गई। उपखण्ड अधिकारी वामनवास	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

का अक्लीटन किया गया / न्यायाधीश
में वकील जयर्षि का प्रा. पत्र धारा 136
L.R. Act + स्वीकार किया जाकर लक्ष्मीलक्ष्मण
वरनाला को आदेशित किया जाता है
कि ग्राम महेशवठ लक्ष्मण वरनाला की
जमावंडी खाता नं. 59 में जयर्षि का
नाम बिसराम पुत्र भोरया के स्थान
पर बसिराम उर्फ बिसराम पुत्र भोरया
दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में
शुद्ध किया जावे। लक्ष्मीलक्ष्मण वरनाला
आदेश की पालना करे।

यह आदेश आण्ड दिनांक 2/7/25
को दिया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बामनवास